(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 1188-दो/2014 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 22-3-2014 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 391/2011-12 अपील

1- उस्मान खॉ 2- मुबारिक खॉ
3- फिरोज खॉ 4- लतीफ खॉ
5- फरियाद खॉ 6- सत्तार खॉ
सभी पुत्रगण छोटे खॉ
7- सिकावत खॉ पुत्र अल्फाज खॉ
सभी निवासी ग्राम अतरेटा
तहसील सेवढ़ा जिला दतिया

--आवेदकगण

विरूद्ध

1- श्रीमती जमीला पुत्री अल्फाज खॉ पत्नि हवाव खॉ
निवासी पानी की टंकी के पास इन्दरगढ़, दतिया
2- शहीद खॉ 3- हमीद खॉ पुत्रगण बुल्ले खॉ
निवासी ग्राम अतरेटा तहसील इन्दनगढ़ जिला दतिया

--- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.बाजपेयी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 12 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 391/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार सेवढ़ा के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मांग की गई कि मौजा बहादुर पुर तहसील सेवढ़ा की कुल किता 4 कुल रकबा 2-73 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित

किया गया है) के भूमिस्वामी अलफ खॉ पुत्र रबूदे खां थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक अलफ खां ने दिनांक 30-12-05 को बसीयत लिखकर वाद ग्रस्त भूमि के 1/3 भाग शहीद, हमीद, को एंव 1/3 भाग उस्मान, मुवारिक, फिरोज, लतीफ, फरियाद सत्तार को तथा शिकायत खां पुत्र अलफ खॉ को हिस्सा 1/3 भाग दी थी। बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 21/अ-6/06-07 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 9-7-07 पारित करके बसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व महिला जमीला पुत्री स्व. अलफ खॉ ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्रकरण कमांक 18/07-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-10 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 9-7-07 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

तहसीलदार सेवढ़ा ने पक्षकारों की पुर्नसुनवाई कर आदेश दिनांक 19-10-11 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर बसीयत के आधार पर पक्षकारों का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व महिला जमीला पुत्री स्व. अलफ खॉ ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने प्र.क्र. 40/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-4-12 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-10-11 निरस्त कर दिया तथा मृतक अलफ खॉ के स्थान पर अपीलार्थी जमीला पुत्री अलफ खॉ पत्नि हवीव खॉ निवासी इन्दरगढ़ का वारिसान के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 391/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-14 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सेवढ़ा ने पुर्न-आदेश दिनांक 19-10-11 से बसीयत दिनांक 30-12-05 को प्रमाणित पाकर नामांत्रण किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने इस आधार पर निरस्त किया है :-

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व्दारा कोई जवाव व कथन नहीं दिये। रिस्पा. के इस तर्क से मैं सहमत हूँ कि अपीलांट व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में न ही नामान्तरण का आवेदन दिया और न ही कथन कराये गये। लेकिन मुस्लिम विधि अध्याय 13 के उप नियम 2 में यह स्पष्ट है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने हिस्से में से 1/3 भाग की बसीयत कर सकता है। अधिक की नहीं। इसलिये मृतक अलफ खां व्दारा संपूर्ण आराजी की बसीयत की गई है इसलिये अध्याय 13 के उप नियम 8 के अनुसार अपीलांट मृतक अलफ खां की पुत्री है, इसलिये उसके अंश तक बसीयत निष्प्रभावी है क्योंकि अपीलांट व्दारा की गई बसीयत को चुनौती दी गई है।

अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के आदेश दिनांक 9-4-12 में निकाले गये निष्कर्षो को अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर ने पुष्टिकृत करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-4-12 में नियम सम्बन्धी टंकण त्रृटि में सुधार किया है कि मुस्लिम विधि अध्याय 5 के उप नियम 12 में बसीयत वावत् उक्तानुसार प्रावधान है। जब अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा उक्तानुसार निष्कर्ष में स्वीकार करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व्दारा कोई जवाव व कथन नहीं दिये हैं, रिस्पा. के इस तर्क से मैं सहमत हूँ कि अपीलांट व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में न ही नामान्तरण का आवेदन दिया और न ही कथन कराये गये ।

तहसील न्यायालय के प्रकरण में आये तथ्यों अनुसार तहसीलदार ने मृतक अलफ खां व्दारा लिखाई गई बसीयत दिनांक 30-12-05 की जांच की है एंव साक्ष्य से बसीयत पुष्ट होने के उपरांत आदेश दिनांक 9-7-07 पारित करके बसीयत के आधार पर नामान्तरण किया है। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष प्रस्तुत अपील का पद 3 (ब) एंव (स) इस प्रकार हैं :-

ब- **यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरण प्रकरण में विधिवत् इस्ताहर जारी नहीं किया गया और न ही ग्राम की चौपाल पर इस्तहार की एक प्रति चस्वा की गई और न ही गॉव में डोड़ी पिटवाई गई।**

स- **यह कि अधीनस्थ न्यायालय व्दारा पारित आदेश में अपीलांट को प्रकरण में विधिवत् समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।**

इस परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सेवढ़ा के प्रकरण क्रमांक 21 अ-6/2006-07 का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 16 पर उद्घोषणा संलग्न है जिसकी एक प्रति ग्राम के चौपाल पर, एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। इसी प्रकरण के पृष्ट 23 लगायत 34 पर हितबद्व पक्षकारों को जारी सूचना की प्रतियॉ संलग्न हैं हमीदखॉ अनावेदक क्रमांक 3, शहीद खॉ अनावेदक क-2, एंव पृष्ठ 34 पर महिला जमीला के नाम से जारी नोटिस संलग्न है एंव नोटिस पर सम्बन्धितों की पावती के हस्ताक्षर हैं। तहसील न्यायालय के प्रकरण की आडरशीट दिनांक 1-5-07 से निरन्तरता में हमीद खॉ के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । इसी प्रकार प्रत्यावर्तन के वाद प्रकरण तहसील में पुनः सुनवाई हेतु वापिस होने के उपरांत आडरशीट दिनांक 28-910 , 14-12-10, 20-12710 पर महिला जमीला के उपस्थिति वावत् निशानी अंगूठा लगे हैं। स्पष्ट है कि महिला जमीला व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो में वास्तविकता के विपरीत स्थिति बताई है जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि तहसील न्यायालय में अनावेदक क्रमांक 1 से 3 को साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है।

1188/को/14 निग.

5/ अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक ने बताया कि महिला जमीला मृतक अलफ खॉ की एकमात्र पुत्री है जिसके कारण वादित भूमियों की स्वत्वाधिकारिणी है। स्वत्व का निराकरण करने के लिये राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है यदि महिला जमीला मृतक अलफ खॉ की एकमात्र पुत्री होने के आधार पर वादित भूमि में बसीयत के विपरीत स्वत्व चाहती है तब उसे बसीयत असिद्ध कराने एंव स्वयँ का स्वत्व प्रमाणित कराने सक्षम न्यायालय में जाने का उपचार प्राप्त है। मौजा बहादुर पुर तहसील सेवढ़ा की कुल किता 4 कुल रकबा 2-73 हैक्टर संपूर्ण भूमि मृतक अलफ खॉ पुत्र रबूदे खां के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज रही है जिसमें अन्य परिजनों का नाम अंकित न होने से अन्य सह-हिस्सेदार नहीं हैं, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने आदेश दिनांक 9-4-12 पारित करते समय प्रकरण में आये वास्तविक तथ्यों की अनदेखी की है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण के तथ्यों पर ध्यान दिये बिना अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-4-12 में निकाले गये निष्कर्षो से सहमत होने में भूल की है। जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा का आदेश दिनांक 9-4-12 एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर का आदेश दिनांक 22-3-14 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्र0क0 391/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22-3-14 तथा अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा व्दारा प्र.क. 40/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-4-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार सेवढ़ा व्दारा प्रकरण कमांक 21/अ-6/06-07 आदेश दिनांक 19-10-11 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर